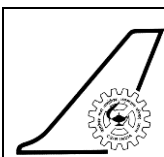


Date of Publication: 12.08.2026



सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं
CSIR-NATIONAL AEROSPACE LABORATORIES
P.B. No.1779, HAL Airport Road, Kodihalli,
Bengaluru – 560 017

Advt. No.11/2026

(Website: www.nal.res.in)

**ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT TO THE POSTS OF MULTI-TASKING STAFF
ON DIRECT RECRUITMENT BASIS**

Starting Date of receipt of Hard copy of Application	12/08/2026 at 9.00 AM
Last Date for Receipt of Hard-Copy Applications	21/09/2026 upto 5.00 PM
Applications shall be accepted only in physical form through Speed Post/Courier. Applications received through e-mail, hand delivery or any other mode shall not be entertained.	

CSIR–National Aerospace Laboratories (CSIR–NAL) invites applications in the prescribed format from eligible Indian citizens for recruitment to the post of Multi-Tasking Staff (MTS). Applications shall be submitted only in physical form through Speed Post/Courier. The details of vacancies is as under:

Post Code	Name of the Post	Total No. of Posts & Reservation	Upper Age Limit (as on last date of receipt of Hardcopy of application)	Pay Level in Pay Matrix as per 7 th CPC & Total Emoluments	Essential Qualification
MTS	Multi-Tasking Staff	06 (ST-01, OBC(NCL)-02, EWS-01 & UR-02)	25 Years*	Pay Level-01 (₹18,000 - 56,900/-) as per 7 th CPC	SSC/10 th Standard
ST: Scheduled Tribe, OBC (NCL): Other Backward Classes [Non-Creamy Layer]; EWS: Economically Weaker Section and UR: Unreserved					
Note: i. The Competent Authority has the right to cancel the recruitment process for any of the above mentioned post at any stage for administrative reasons and the decisions of the Competent Authority shall be final binding on all. ii. The number of vacancies indicated against post code is provisional and may increase or decrease.					

* Age relaxation wherever applicable shall be granted as per CSIR/GoI guidelines

The cut-off date for determining eligibility with respect to the upper age limit, educational qualifications etc. shall be the closing date prescribed for the receipt of hard copies.

The office shall not be responsible for any postal delays.

Job requirement:

The selected candidate will be required to perform the following duties, among others:

- Physical maintenance of records/files of the Section.
- General cleanliness and upkeep of the Section/Unit.
- Carrying files and other papers within the office.
- Photocopying, scanning, sending of FAX (where required) and other routine office support work.

- Delivery / collection of dak (including outside the building, if required).
- Assisting in routine office work such as diary, dispatch, filing and record management.
- Opening and closing of office rooms.
- Cleaning of rooms and dusting of furniture, fixtures and office equipment.
- Preparation and serving of tea/coffee and refreshments to officers, staff and official guests, as required.
- Assisting in meetings, conferences and other official functions.
- Any other work assigned by the Controlling Officer/Supervisory Officer from time to time.

Terms and Conditions

1.BENEFITS UNDER COUNCIL SERVICE:

a. The post carries the applicable allowances, such as Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) and other benefits, as admissible to Central Government employees and made applicable to CSIR employees from time to time. Council accommodation may be provided, subject to availability, in accordance with the CSIR Residence Allotment Rules. In such cases, HRA shall not be admissible.

b. In addition to the pay and allowances, the selected candidate shall be entitled to benefits such as National Pension System (NPS), medical facilities/reimbursement, Leave Travel Concession (LTC), Children Education Allowance (CEA) and other benefits, as admissible under the applicable CSIR/Government of India Rules.

c. Persons appointed against the advertised post shall be governed by the National Pension System (NPS), as applicable to employees joining Central Government service on or after 01.01.2004, as adopted by CSIR and amended from time to time.

d. The service conditions of the appointee shall be governed by the applicable CSIR Rules and Regulations, including the relevant provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, Fundamental Rules, Supplementary Rules, and other orders/instructions issued by the Government of India/CSIR from time to time, as applicable.

e. The post carries All India Service Liability (AISL). The selected candidate may be posted or transferred to any of the Laboratories/Institutes/Centres of CSIR or any place in India in the interest of the Council.

2.AGE LIMITS & RELAXATIONS:

a. Applicants should have attained the age of 18 years and should not have exceeded the upper age limit of 25 years (for UR candidates), as applicable, as on the last date prescribed for receipt of hard-copy applications. The crucial/cut-off date for determining the upper age limit, educational qualifications and/or experience for each post shall be the closing date prescribed for receipt of hard-copy applications.

b. The upper age limit shall be relaxed by 05 years for Scheduled Tribe [ST] and 03 years for Other Backward Class [OBC(NCL)], as per Government orders in force, only in respect of those cases where the posts/vacancies are reserved for respective categories on production of relevant latest certificate in the prescribed GoI format signed by the specified authority. SC/ST/OBC(NCL) candidates who apply against the posts not reserved for them i.e. Unreserved (UR) posts will not be eligible for age relaxation and they will be treated at par with general candidates in respect of their selection [Application Fee Exemption is, however, applicable for SC and ST candidates in such cases].

c. Eligibility for OBC candidates will be based on castes listed in the Central List of the Government of India, and their sub-caste must match the entries in this list; otherwise, their candidature will not be considered under any reserved category and will be treated as Unreserved (UR), if otherwise eligible. OBC candidates in the "Creamy Layer" are not entitled for concessions available to the OBC category and must indicate their category as General.

Candidates belonging to the reserved category of OBC(NCL) must submit a copy of their certificate with their applications without which their candidature will not be considered as reserved provided they meet the required criteria applicable to Unreserved candidates. This certificate should be in the prescribed format for appointment to posts under the Government of India(GoI) and issued by the

Competent Authority authorized to issue such certificates, such as the SDO, District Magistrate or Deputy Commissioner, as specified by the Government of India.

The OBC (Non-Creamy Layer) are required to additionally furnish a 'Form of Declaration' supporting their claim that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.

d. Relaxation of upper age limit for Ex-Servicemen will be applicable as per GoI/CSIR orders prevailing in this regard.

e. As per Govt. of India provisions, age relaxation for Widows, Divorced Women and Women Judicially separated from Husbands, the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in respect of the posts reserved for them) for Widows, Divorced Women and Women Judicially separated from their Husbands who are not remarried. The candidates claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:

- i. In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.
- ii. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/decreed of the appropriate Court to prove the fact of divorce or judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women and they have not remarried since.

f. Age relaxation to Persons with Benchmark Disabilities (PwBD): Age relaxation of 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC candidates as per rules) in upper age limit shall be allowed to the persons suffering from the following benchmark disabilities as per GOI instructions:

- (i) blindness and low vision;
- (ii) deaf and hard of hearing;
- (iii) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;
- (iv) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; &
- (v) multiple disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf-blindness

Persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce a valid certificate in the prescribed proforma in support of their claims clearly indicating that the degree of physical disability is 40% or more. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found medically fit in accordance with the standards of medical fitness as prescribed by the Government.

The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved to person with disabilities or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability.

If a person with disability is entitled to age concession by virtue of being a Central Government employee, concession to him/her will be admissible either as a 'person with disability' or as a 'Central Government employee' whichever may be more beneficial to him/her.

PwBD candidates availing the facility of scribes shall also be required to carry required Medical Certificate/ Undertaking/ Photocopy of the Scribe's Photo ID Proof, as specified therein. Candidates without these documents will not be allowed to appear in the examination.

g. Economically Weaker Section (EWS): Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 Lakh (Rupees Eight Lakh only) are to be identified as EWS for benefit of reservation. The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

The income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc., for the financial year prior to the year of last date of submission of HARDCOPY of application. For example, if the closing date for receipt of application for a post is May, 2025, the financial year for computing gross annual income of the family shall be 2024-2025 and the certificate shall be valid for 2025-2026. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

- i. 5 acres of Agricultural Land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

Persons claiming reservation under Economically Weaker Sections (EWS) are required to produce valid certificate on Income and Asset in the prescribed format issued by the Competent Authority.

The benefit of reservation under EWS category will be regulated as per DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt.(Res.), dated 31.01.2019 and any other GoI instructions applicable in this regard, at the time of last date of submission of application. Further, the crucial/cut-off date for submission of the Income and Asset Certificate by candidates claiming reservation under the EWS category shall be the closing date prescribed for receipt of hard-copy applications. The Income and Asset Certificate must be valid as on the closing date for receipt of applications. Certificates issued after the crucial/cut-off date or pertaining to a subsequent financial year shall not be accepted.

h. Persons claiming any type of relaxation viz. age relaxation, exemption of payment of application fee etc., are required to produce valid certificates claiming their relaxation, failing which their candidature shall be cancelled and no representation in this regard shall be entertained.

i. Any other age relaxation shall be applicable as per extant GoI/ CSIR Recruitment Rules.

Permissible relaxation in upper age limit for different categories in accordance with extant Rules/ guidelines of Government of India/CSIR are as under:

Sl.No.	Category	Age relaxation permissible beyond upper age limit
1	Scheduled Caste/Scheduled Tribe (SC/ST)	5 Years
2	Other Backward Classes (OBC-NCL)	3 Years
3	PwBD (Unreserved)	10 Years
4	PwBD (SC/ST)	15 Years
5	PwBD (OBC-NCL)	13 Years
6	Ex-Servicemen(ESM)	3 years after deduction of the actual military service rendered from the actual age as on the closing date
7	Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried.	Up to 35 years of age
8	Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (SC/ ST).	Up to 40 years of age

3. MODE OF SELECTION:

a. Candidates who fulfil the eligibility criteria as recommended by the Screening-cum Selection Committee duly constituted by the Competent Authority, CSIR-NAL will be called for an OMR Based Objective Type Multiple Choice Competitive Written Examination and merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the exam.

b. Screening of applications will be done prima facie on the basis of documents and information furnished by the candidates. Therefore, candidates are required to provide accurate and correct information in the application. If at any subsequent stage it is found that the candidates do not fulfil the eligibility criteria or have provided false/incorrect information, their candidature shall be cancelled without any further notice of the same.

c. The written examination will be conducted in Bengaluru only. No representation for change of centre and date of test will be entertained.

d. Competitive Written Examination consists of one paper. Syllabus of written examination for MTS is as follows:

Mode of Examination	OMR Based Objective Type Multiple Choice Examination
Medium of Questions	The questions will be set in English, Hindi & Kannada except the questions on English Language.
Standard of exam	Class X
Total No. of Questions	150
Total Time Allotted	2 hours

Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Negative Marks
General Intelligence	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
Quantitative Aptitude	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
General Awareness	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
English Language	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer

e. Methodology for Resolution of Tie: If there will be a tie in the merit list between/amongst the candidates, then tie will be resolved in the following order of precedence (ascending order), till tie is resolved:

- I. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Examination placed higher
- II. Date of Birth, with older candidate placed higher
- III. Candidate acquiring Essential Qualification earlier placed higher
- IV. Alphabetical order in which first names of the candidates appear

f. Even after selection, if at the time of document/certificate verification a candidate is found not to possess the prescribed Essential Qualifications or does not fulfil the eligibility conditions stipulated in the Advertisement and/or the applicable Recruitment Rules, his/her candidature/selection shall be cancelled forthwith without any further notice.

4. GENERAL INFORMATION:

a. The applicant must be a citizen of India.

b. All applicants must fulfil the prescribed eligibility conditions, including the age limit, essential qualifications, and other requirements stipulated in the Advertisement and the applicable Recruitment Rules, as on the last date of receipt of the hard copy of the application. Candidates are advised to satisfy themselves of their eligibility before applying. No enquiry regarding eligibility will be entertained.

The candidature/selection of a candidate is provisional and subject to verification of original documents. If, at any stage of the recruitment process, including after selection or appointment, a candidate is found not to possess the prescribed essential qualifications or fulfil the eligibility conditions as on the crucial date, his/her candidature/selection/appointment shall be cancelled without any further notice.

c. The prescribed essential qualifications are the minimum and mere possession of the same does not entitle candidates to be called for written examination. The candidate should, therefore, mention in the application all the qualifications and experiences in the relevant area over and above the minimum prescribed qualification supported with documents.

d. The duly filled-in prescribed application form, along with self-attested copies of all relevant certificates, mark sheets, experience certificates, testimonials, caste/category certificates, and other supporting documents in support of the claims made in the application, including the application fee receipt (where applicable), must be sent in a single envelope superscribing application for the post of MTS, Advertise No.11/2026 by Speed Post / Courier only, so as to reach the following address on or before the prescribed closing date:

**The Director,
CSIR–National Aerospace Laboratories (CSIR–NAL),
Post Bag No. 1779, HAL Airport Road, Kodihalli,
Bengaluru – 560017, Karnataka.**

Applications received after the prescribed closing date, or those that are incomplete or not received in the prescribed format, are liable to be rejected. **No subsequent submission of applications or supporting documents shall be entertained.**

e. In respect of Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, then the candidate is required to attach copy of order/letter in this regard and submit the same while applying for the post, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, otherwise application is liable to be rejected.

f. The prescribed qualifications should have been obtained through recognized Boards / Institutions.

g. If any document/ certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be enclosed.

h. A non-refundable application fee of **₹500/- (Rupees Five Hundred only)** shall be paid by the candidates through a **Demand Draft (DD)** drawn in favour of the Director, CSIR-National Aerospace Laboratories payable at **Bengaluru**, and enclosed with the hard copy of the application. The candidate must write his/her name and father's name on the back of the DD.

The application fee shall be paid only through Demand Draft (DD). No other mode of payment shall be accepted. Candidates belonging to **Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), Ex-servicemen (ESM), Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), and Women** are exempted from payment of the application fee. All other candidates must pay the prescribed application fee, failing which their candidature shall be rejected.

i. Recruitment for the posts of Multi-Tasking Staff is governed by the "Recruitment Rules for Multi-Tasking Staff" in CSIR as amended from time to time.

j. Candidates selected for the post will be on probation for a period of two years from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority. After successful completion of probationary period, they will be considered for confirmation as per rules.

k. The date of birth furnished by the candidate in the prescribed application form and supported by the Matriculation/Secondary Examination Certificate or Birth Certificate issued by the competent authority shall be accepted by CSIR-NAL for determining the age of the candidate. No subsequent request for change in the date of birth shall be entertained under any circumstances. The date of birth must be supported by a High School/Secondary School/Higher Secondary School Certificate or a Birth Certificate issued by the competent authority.

l. Incomplete applications or applications not submitted in the prescribed format, or those received without the prescribed application fee (where applicable), recent passport-size photograph, signature, self-attested copies of the requisite testimonials/documents, and caste/category/EWS/PwBD certificates or any other certificates in support of the claims made in the application form, shall be treated as invalid and summarily rejected.

m. Appointments for reserved positions will be provisional, pending verification of caste certificate through appropriate channels. If verification reveals that a candidate's claim to SC/ST/OBC-NCL/EWS/PwBD status is false or incorrect, their employment will be terminated immediately without assigning any reasons and without prejudice to further legal action as deemed fit.

n. The selected incumbents will be posted in CSIR-NAL, Bengaluru. But they can be transferred to other CSIR labs / Instt., anywhere in India in public interest.

o. No TA will be reimbursed for appearing Written Examination.

p. The number of vacancies indicated against the Post is provisional and may increase or decrease at the time of selection. The Competent Authority may or may not fill up any or all the posts or cancel the Advertisement in part or full due to any unforeseen/unavoidable reasons. No representation in this regard shall be entertained.

q. The decision of the Competent Authority, CSIR-NAL/CSIR in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of Written Examination will be final and binding on the candidates.

r. Any discrepancy found between the information given in application and as evident in original documents at the time of verification of documents, will make the candidate ineligible for the post.

s. Applicants currently working in CSIR/Government Organizations /Autonomous Bodies/ Statutory Bodies/Universities/PSUs etc., as regular employee must inform their department or office and enclose the "No Objection Certificate" (NOC) & Vigilance Clearance Certificate from their employer at the time of submitting the Hardcopy of application, failing which their candidature will NOT be considered.

t. Any further updates, notices, addendum or corrigendum related to this advertisement will be posted solely on the CSIR-NAL official website. No individual notifications will be sent to candidates; thus the candidates are advised to check the CSIR-NAL official website regularly.

u. Candidates should indicate as to whether any of their blood/close relatives [relation to a Government servant include the wife or husband, son or daughter, parents, brothers or sisters or any person related to any of them by blood or marriage, whether they are dependent on the Government servant or not] is working in CSIR or any other National Labs/ Institutes/ Units of the CSIR.

v. The selected candidates will not be permitted to apply for appointment elsewhere or in CSIR-NAL during the probationary period and if they have already applied for any posts in any other organization, they may have to intimate the details of such applications, immediately after joining the Laboratory.

w. Candidates are advised to use the prescribed application form attached to the advertisement and submit the duly filled-in hard-copy application well before the closing date to avoid any last-minute rush, postal delays, or other unforeseen circumstances.

x. Canvassing in any form and/or bringing in any influence political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.

y. No interim enquiry or correspondence regarding the recruitment process will be entertained. Candidates are advised to carefully read the advertisement and ensure that the duly filled-in application form, along with all requisite documents, reaches this Office on or before the prescribed closing date. Any queries relating to the recruitment process may be addressed to the contact details provided in the advertisement.

5. How to Apply:

a. Eligible candidates are required to submit the duly filled-in prescribed application form, along with self-attested copies of all requisite certificates/documents and the application fee receipt (where applicable), in hard copy to the address by speed post/courier as specified in this advertisement. Applications received through any other mode shall not be entertained.

b. Before filling up the application form, candidates are advised to carefully read this advertisement and the instructions contained therein.

c. The application shall be submitted in the following manner within the prescribed timeline:

i) Fill in the prescribed application form.

ii) Pay the prescribed application fee through Demand Draft (DD), wherever applicable.

iii) Submit the duly filled-in application form, along with the self-attested copies of the requisite certificates/documents and the DD (where applicable), so as to reach this Office on or before the prescribed closing date.

d. The application fee, once paid, shall not be refunded under any circumstances nor adjusted against any other recruitment or selection process. Candidates must ensure that all particulars furnished in the application form are complete and correct, and that all requisite self-attested supporting documents enclosed with the application are legible and in support of the claims made in the application. Incomplete applications or applications received without the prescribed documents are liable to be rejected.

e. Candidates are required to affix a recent passport-size colour photograph in the space provided in the prescribed application form and sign the application in the designated place. Self-attested copies of all relevant certificates, mark sheets, testimonials, experience certificates and other supporting documents shall be enclosed with the application.

f. Candidates are advised to retain a photocopy of the duly filled-in application form, along with copy of the DD (where applicable) and all enclosures, for their record. The original hard-copy application, complete in all respects, along with the prescribed application fee receipt (where applicable) and self-attested copies of all requisite certificates/documents, shall be submitted to this Office so as to reach on or before the prescribed closing date. Candidates may be required to produce the original certificates/documents for verification at any stage of the recruitment process.

g. The candidature is provisional and subject to verification of original documents, payment of application fee where applicable and if the verification reveals any false information, candidature will be summarily rejected forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

h. If any candidate is found not eligible at any stage, then his/her candidature will be rejected forthwith and no representation in this regard will be entertained.

7. CHECK LIST

Candidates must ensure that the following documents are enclosed with the hard copy of the application, wherever applicable. Applications received without the prescribed documents, with incomplete documentation, or after the prescribed closing date shall be summarily rejected.

a. Demand Draft of **₹500/- (Rupees Five Hundred only)**, wherever applicable, drawn in favour of **The Director, CSIR–National Aerospace Laboratories, Bengaluru**. Name and Father's name to be written on the back of the DD.

b. Recent passport-size colour photograph affixed in the space provided in the application form.

c. Signature of the candidate in the prescribed space in the application form.

d. Self-attested copies of the following educational certificates and mark sheets:

- SSLC/Matriculation/X Standard Certificate/Mark Sheet (as proof of Date of Birth);
- Certificates and mark sheets of all prescribed educational qualifications.

e. Self-attested copy of the latest **SC/ST/OBC (NCL)/EWS/PwBD/Ex-serviceman** certificate, wherever applicable, in the prescribed Government of India format (applicable for Central Government job) issued by the competent authority.

f. In the case of widows, divorced women, or women judicially separated from their husbands and who have not remarried, a copy of the relevant court judgment/decreed together with an affidavit declaring that the candidate has not remarried.

g. No Objection Certificate (NOC) and Vigilance Clearance from the employer, in respect of candidates serving as regular employees in CSIR/Government Departments/Autonomous Bodies/Statutory Bodies/Universities/Public Sector Undertakings, wherever applicable.

h. School Leaving Certificate indicating the candidate's name and date of birth, if these particulars are not appearing in the SSLC/Matriculation/X Standard Certificate/Mark Sheet.

i. Self-attested copy of a valid Government-issued photo identity proof (Aadhaar Card, PAN Card, Voter ID Card, Passport, Driving Licence, etc.).

j. The envelope containing the application form must be superscribed "Application for the Post of MTS, Advt. No.11/2026.

8. Probable Grounds for Rejection of Application/Candidature

The application/candidature of a candidate is liable to be rejected at any stage of the recruitment process on any of the following grounds:

a. Application is incomplete, unsigned, or not in the prescribed format.

b. Non-receipt of the prescribed application fee through Demand Draft, wherever applicable.

c. Non-possession of the prescribed essential qualifications, experience, age, or any other eligibility conditions as on the closing date for receipt of applications.

d. Receipt of the application after the prescribed closing date.

- e. Submission of the application without the requisite certificates/documents, including No Objection Certificate (NOC), wherever applicable.
- f. Any discrepancy, mismatch, or inconsistency between the information furnished in the application and the original documents produced during scrutiny/document verification.
- g. Submission of false, incorrect, or misleading information or suppression of any material fact.
- h. Failure to fulfil any of the eligibility conditions or other terms and conditions stipulated in the Advertisement and/or the applicable Recruitment Rules.

DISCLAIMER

1. Candidates must ensure that they fulfil all the prescribed eligibility conditions, including age, essential educational qualifications, experience (wherever applicable), and the category claimed in the application form, as on the closing date for receipt of applications. They must produce the requisite original certificates/documents issued by the competent authority in support of their claims whenever called for, particularly at the time of document verification. Failure to fulfil the prescribed eligibility conditions or to produce the requisite certificates/documents shall render the candidature liable to be cancelled at any stage of the recruitment process, including after selection or appointment.
2. The candidature of a candidate is purely provisional and subject to verification of all original certificates/documents. If, at any stage of the recruitment process, it is found that the candidate has furnished any false, incorrect, or misleading information, suppressed any material fact, or does not fulfil the eligibility conditions prescribed in this Advertisement and/or the applicable Recruitment Rules, the candidature/selection/appointment shall be liable to be cancelled without notice. CSIR–National Aerospace Laboratories (CSIR–NAL) reserves the right to take appropriate action, including debarment from future recruitments, in accordance with the applicable rules.
3. The decision of CSIR–National Aerospace Laboratories (CSIR–NAL) in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, conduct of the recruitment process, document verification, selection, interpretation of the provisions of this Advertisement, and the applicable Recruitment Rules shall be final and binding on all candidates. No correspondence or representation in this regard shall be entertained.
4. The office shall not be responsible for any loss of application post receipt that has not been properly superscribed on the envelope identifying it as the application for the post of MTS against the advertisement.

**Sd/-
Sr. Controller of Administration**

Annexure-I

FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS /AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS etc.

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No.

Date: _____

No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. _____

This is to certify that Mr./Ms. _____, Designation _____, is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of Current Position _____ since _____.

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. _____ dated _____ for the position of Post Code _____ Position _____.

This department/organization has no objection to Mr./Ms. _____ participating in the selection process or being considered for the aforementioned employment in the new position.

It is also certified that Mr./Ms. _____ is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Mr./Ms. _____ is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

Place:

For [Name of Department/Organization],

[Signature of Issuing Authority]

[Name of Issuing Authority]

[Designation of Issuing Authority]

[Official Seal/Stamp]

[Contact Information]

[Department/Organization Address]

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* Son/daughter* of of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory* belongs to the caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:-

@ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
 @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
 @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
 @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951
 [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]
 @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
 @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
 @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
 @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
 @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
 @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
 @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
 @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
 @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
 @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
 @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
 @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
 @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
 @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
 @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
 @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
 @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
 @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
 @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
 @ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007
 % 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another,

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati* Father/ Mother of Shri/ Shrimati/ Kumari* of village/town*/Territory** in District/ Division* of the State/ Union Territory* who belong to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* issued by the dated

% 3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily resides in village/town* of District/Division* of the State/Union Territory*

Signature
 **Designation
 (With Seal of Office) State/Union Territory*

Place:

Date:

* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable

NOTE: The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of _____ village/town _____ in District _____/Division belongs to the _____ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____* and/or his family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**

Signature _____

\$
Designation _____

Dated:

Seal

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

\$ List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Annexure-IV

FORM OF DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE 'OTHER BACKWARD CLASS' CANDIDATE (IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)

I _____ Son/daughter of Shri _____
resident of village/town/city_____ district_____
state_____ hereby declare that I belong to the _____ community
which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in
services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.
36102/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections
(Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum
dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No.
36033/3/2004- Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended time to time. I also declare that
the condition of status/annual income for creamy layer of my Parents/guardian is within prescribed limits
as on last date of application.

Place: _____
Date: _____

Signature _____
Name _____
Address _____

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)
INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.....

Date:.....

VALID FOR THE YEAR.....

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..... son/ daughter/ wife of
 permanent resident of, Village/
 Street, Post Office, Territory.....Pin Code..... whose photograph is
 attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her
 family**is below Rs. 8 lakhs (Rupees Eight Lakh only) for the financial
 year.....His/her family does not own or possess any of the following
 assets**:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above
 - III. Residential plot of 100 Sq. Yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari..... belongs to the..... caste which is not
 recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of
 Office.....
 Name.....
 Designation.....

Recent
 passport size
 attested
 photograph of
 the applicant

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

Note 2 : The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years *Note 3 : The property held by a "Family' in different locations or different places/cities

have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Annexure - VI

Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) [See rule 18(1)] (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport
size attested
photograph
(showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.
Date:.....

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____. Registration No. _____
permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office
_____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and
am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability
has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be
specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1	Locomotor disability			
2	Muscular Dystrophy			
3	Leprosy cured			
4	Dwarfism			
5	Cerebral Palsy			
6	Acid attack Victim			
7	Low vision			
8	Blindness			
9	Deaf			
10	Hard of Hearing			
11	Speech and Language disability			
12	Intellectual Disability			
13	Specific learning Disability			
14	Autism Spectrum Disorder			
15	Mental illness			
16	Chronic Neurological Conditions			
17	Multiple sclerosis			
18	Parkinson's disease			
19	Haemophilia			
20	Thalassemia			
21	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -
In figures : - ----- percent
In words :- -----percentage

- This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- Reassessment of disability is :
(i) not necessary,

or
(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall
be valid till ----- (DD) (MM) (YY)
@ e.g. Left/right/both arms/legs
e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature /
thumb
impression of the
person in whose
favour certificate
of disability is
issued

Certificate of Disability
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP Size
Attested
Photograph
(Showing face
only) of the Person
with disability

Certificate No.: _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum
_____ son/ wife/ daughter of Shri
_____ Date of Birth _____ (DD/MM/YYYY)
Age _____ Years, Male/Female _____ Registration No.
_____ Permanent Resident of House No.
_____ Ward/Village/Street _____ PostOffice _____
_____ District _____ State _____ whose photograph
is affixed above, and are satisfied that he/she is a Case of _____ Disability. His/her extent of
percentage physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) for
the disabilities (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment / mental disabilities (in %)
1	Locomotor disability	@		
2	Low vision	#		
3	Blindness	Both Eyes		
4	Hearing Impairment	\$		
5	Mental retardation	X		
6	Mental-illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. This above condition is progress / non-progress / likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/ after _____ years _____ on this, and
therefore this certificate shall be valid till _____ (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

\$ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/ Head
of Government Hospital, in case the
certificates issued by a medical authority
who is not a government servant (with seal))

Signature/Thumb
impression of the
person in whose
favour disability
certificate is
issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I, a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No. at (name of the centre) in the District, (name of the State/UT). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is.....In case, subsequently it is found that his / her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:

Annexure – IX

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _____ (name of the candidate with disability), a person with _____ (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o _____, a resident of _____ (Village/ District/ State) and to state that he / she has physical limitations which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical
Superintendent of a Government health care
Institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/PMR)

FOR OFFICE USE ONLY

Application Serial No.: _____

Date of Receipt of Application: _____

Demand Draft Details (where applicable):

DD No.: _____ Date: _____

Amount: ₹ _____

Bank: _____

☐ Demand Draft detached and taken into custody by me.

Name & Signature of Receiving Official: _____

Date: _____

Eligibility Status

☐ Eligible

☐ Provisionally Eligible

☐ Not Eligible

Reason (if Not Eligible): _____

Documents Verified by: _____

Signature of Scrutinising Officer: _____

Date: _____

Instructions to Candidates

1. Candidates shall submit their application only in the prescribed format, neatly typed on A4-size paper. Handwritten applications will not be accepted.
2. A recent self-attested passport-size colour photograph shall be affixed in the space provided in the application form.
3. Self-attested copies of all relevant certificates/documents in support of age, educational qualification, category, PwBD/Ex-Serviceman status, experience (if any), etc., shall be enclosed with the application.
4. The prescribed application fee of **₹500/- (Rupees Five Hundred only)** shall be remitted **only through Demand Draft (DD)** drawn in favour of the **Director, CSIR–National Aerospace Laboratories**, payable at **Bengaluru**. No other mode of payment will be accepted.
5. Candidates are advised to write their full name and father's name on the back of the DD before enclosing it with the application
6. Incomplete applications, applications not accompanied by the prescribed application fee (where applicable), or applications without the requisite certificates/documents are liable to be rejected.
7. The completed application, along with all enclosures, shall be sent **only through Speed Post / Courier** to the address specified in the advertisement. Applications received through any other mode shall not be entertained.

APPLICATION FORM FOR THE POST OF MULTI-TASKING STAFF (MTS)

Advertisement No.: _____ Post Code: _____

Affix one recent
self-attested
colour passport-
size photograph
in the space
provided

1. Name of Candidate (BLOCK LETTERS): _____

2. Father's/Mother's/Guardian's Name: _____

3. Date of Birth (DD/MM/YYYY): ____/____/____

4. Age (as on closing date): Years ____ Months ____ Days ____

5. Gender: Male / Female / Transgender

6. Religion: _____

7. Category: UR / EWS / OBC(NCL) / SC / ST

8. PwBD: Yes / No Category: _____

9. Ex-Serviceman: Yes / No

10. Correspondence Address:

_____ PIN:

Valid Mobile No: _____

Valid Email ID: _____

11. Permanent Address:

_____ PIN:

12. Educational Qualifications:

Examination	Board/University	Year of Passing	%/CGPA	Subject

13. Technical Qualification/Skill Training: _____

14. Experience:

Organisation	Designation	Period	Nature of Duties

15. Identification Marks:

1. _____

2. _____

16. Application Fee Details (if applicable)

Amount (₹): _____ Demand Draft No.: _____ Date: ____/____/____

Issuing Bank: _____ Branch: _____

Drawn in favour of: _____

Declaration

I hereby declare that the information furnished by me in this application is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that if any information furnished is found to be false or if I fail to satisfy the prescribed eligibility conditions, my candidature/appointment is liable to be cancelled at any stage.

Signature of Candidate

Place: _____ Date: ____/____/____

Enclosures :



सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं
CSIR-NATIONAL AEROSPACE LABORATORIES
 पी.बी. सं. 1779, एचएएल एयरपोर्ट रोड, कोडिहल्ली, बेंगलुरु – 560 017

विज्ञापन तिथि: 12.08.2026

विज्ञापन सं. 11/2026
 (वेबसाइट: www.nal.res.in)
 सीधी भर्ती के आधार पर मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि	12/08/2026 पूर्वाह्न 9:00 बजे
आवेदन की हार्ड-कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि	21/09/2026 अपराह्न 5:00 बजे तक
आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/ कूरियर के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।	

सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (सीएसआईआर- एनएएल) सीधी भर्ती के आधार पर मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से हार्डकॉपी के रूप में जमा किए जाएंगे। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

पद का कोड	पद का नाम	पदों की कुल संख्या एवं आरक्षण	अधिकतम आयु सीमा (आवेदन की हार्डकॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक)	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) एवं कुल परिलब्धियां	अनिवार्य योग्यता
एमटीएस	मल्टी टास्किंग स्टाफ	06 (एसटी-01, ओबीसी (एनसीएल)-02, ईडब्ल्यूएस-01 एवं अनारक्षित-02)	25 वर्ष*	वेतन स्तर -01 (रु. 18,000 - 56,900/-) 7वें सीपीसी के अनुसार	एसएससी/10वीं कक्षा
एसटी: अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (एनसीएल): अन्य पिछड़ा वर्ग [नॉन-क्रीमी लेयर]; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और यूआर: अनारक्षित					
नोट: I. सक्षम प्राधिकारी के पास प्रशासनिक कारणों से किसी भी स्तर पर उपरोक्त में से किसी भी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय सभी के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। II. पद के कोड के समक्ष दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और यह बढ़ या घट सकती है।					

* जहां भी लागू हो, सीएसआईआर/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

ऊपरी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं आदि के संबंध में पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि (कट-ऑफ तिथि) हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

किसी भी प्रकार की डाक देरी के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

कार्य की अपेक्षाएँ:

चयनित अभ्यर्थी को अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा:

- अनुभाग के रिकॉर्ड/फाइलों का भौतिक रखरखाव।
- अनुभाग/ प्रकोष्ठ की सामान्य सफाई एवं रख-रखाव।
- कार्यालय के भीतर फाइलें और अन्य कागजात ले जाना।
- फोटोकॉपी करना, स्कैन करना, फैक्स भेजना (जहां आवश्यक हो) और अन्य नियमित कार्यालय सहायता कार्य।
- डाक वितरण / एकत्र करना (यदि आवश्यक हो तो कार्यालय-भवन के बाहर भी)।
- डायरी, डिस्पैच, फाइलिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे नियमित कार्यालय-कार्यों में सहायता करना।
- कार्यालय-कक्षों को खोलना और बंद करना।
- कमरों की सफाई और फर्नीचर, फिक्स्चर एवं कार्यालय उपकरणों की झाड़-पोंछ (धूल साफ करना)।
- आवश्यकतानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों और आधिकारिक मेहमानों के लिए चाय/कॉफी और जलपान तैयार करना और परोसना।
- बैठकों, सम्मेलनों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना।
- नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

निबंधन और शर्तें

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

- यह पद लागू भत्तों जैसे कि महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए) और अन्य लाभों को वहन करता है, जैसा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है तथा समय-समय पर सीएसआईआर के कर्मचारियों पर लागू किया गया है। सीएसआईआर निवास आवंटन नियमों के अनुसार उपलब्धता के आधार पर परिषद का आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, मकान किराया भत्ता (एचआरए) देय नहीं होगा।
- ख. वेतन और भत्तों के अलावा, चयनित अभ्यर्थी लागू सीएसआईआर/भारत सरकार के नियमों के तहत स्वीकार्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), चिकित्सा सुविधाएं/प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), संतान शिक्षा भत्ता (सीईए) और अन्य लाभों के हकदार होंगे।
- विज्ञापन में दर्शाए गए पद पर नियुक्त व्यक्ति दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा शासित होंगे, जैसा कि सीएसआईआर द्वारा अपनाया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- नियुक्त व्यक्ति की सेवा शर्तें लागू सीएसआईआर नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगी, जिनमें केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, मौलिक नियम, पूरक नियम और भारत सरकार/सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आदेश/अनुदेश शामिल हैं।
- इन पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) लागू है। चयनित अभ्यर्थी को परिषद के हित में भारत में किसी भी स्थान पर स्थित सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केंद्रों में तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है।

2. आयु सीमाएं एवं छूट:

- आवेदकों की आयु आवेदन की हार्ड-कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष व निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा (अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए) 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पद के लिए ऊपरी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि (कट-ऑफ तिथि) हार्ड-कॉपी आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

- . अनुसूचित जनजाति [एसटी] के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी (एनसीएल)] के लिए 03 वर्ष की छूट लागू सरकारी आदेशों के अनुसार केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहां पद/रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं, जिसके लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल) उम्मीदवार अनारक्षित (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं, तो वे आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे और चयन के संबंध में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के समान माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है]।
- . ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति उक्त सूची में अंकित प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं मानी जाएगी और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित (यूआर) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" के ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।

ओबीसी(एनसीएल) की आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी, जिसके बिना उनकी उम्मीदवारी पर आरक्षित के रूप में विचार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए लागू आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हों। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं, जैसे कि एसडीओ, जिलाधिकारी या उप आयुक्त, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

इसके अतिरिक्त ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को आवेदन के साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वे आवेदन की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

- . भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट इस संबंध में प्रचलित भारत सरकार/सीएसआईआर के आदेशों के अनुसार लागू होगी।
- . भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक) छूट दी जा सकती है, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। इस उप-खंड के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने होंगे:
 - (i) विधवा के मामले में, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा यह शपथपत्र कि उन्होंने इसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।
 - (ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उचित न्यायालय के निर्णय/डिग्री की एक प्रमाणित प्रति के साथ तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति में एक शपथ पत्र कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- . बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में छूट: भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष (नियमों के अनुसार एससी/एसटी के लिए 15 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष) की छूट दी जाएगी:
 - (i) अंधापन और कम दृष्टि;
 - (ii) बधिरता और सुनने में कठिनाई;
 - (iii) लोकोमोटर दिव्यांगता जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक के शिकार और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं;
 - (iv) स्वलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी; एवं
 - (v) खंड (i) से (iv) के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगताओं में से एकाधिक दिव्यांगता (बधिर-अंधता सहित)।

इस उप-खंड के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावों के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि शारीरिक दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक योग्यता के मानकों के अनुसार चिकित्सीय रूप से योग्य पाए जाने के अधीन होगी।

दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में रियायत इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते पद को दिव्यांगता की उक्त श्रेणी के लिए उपयुक्त दर्शाया गया हो।

यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति केंद्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण भी आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे दिव्यांगजन अथवा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के रूप में उपलब्ध आयु में छूट में से जो अधिक लाभकारी होगी, वही प्रदान की जाएगी।

प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र/ वचन पत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी ले जानी होगी, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है। इन दस्तावेजों के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- . आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु.8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में स्वीकृत किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति स्वयं जो कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

आय के अंतर्गत आवेदन की हार्डकॉपी जमा करने की अंतिम तिथि के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय भी शामिल होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मई, 2025 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 होगा और प्रमाण पत्र 2025-2026 के लिए वैध होगा। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय के निर्विशेष ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित करने से बाहर रखा जाएगा:

- (i) 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;
- (ii) 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- (iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आय और संपत्ति का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर लागू डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरईएस), दिनांक 31.01.2019 और इस संबंध में लागू किसी अन्य भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की निर्णायक तिथि (कट-ऑफ तिथि) हार्ड-कॉपी आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए। निर्णायक/अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए या किसी पश्चवर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- . किसी भी प्रकार की छूट का दावा करने वाले व्यक्ति, जैसे आयु में छूट, आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट आदि, को अपनी छूट का दावा करने वाले वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- . अन्य किसी प्रकार की आयु में छूट भारत सरकार/ सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।

भारत सरकार/ सीएसआईआर के वर्तमान नियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आय सीमा में स्वीकार्य छूट निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	ऊपरी आय सीमा से परे आयु में स्वीकार्य छूट
----------	--------	---

1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल)	3 वर्ष
3	पीडब्ल्यूबीडी (अनारक्षित)	10 वर्ष
4	पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी)	15 वर्ष
5	पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी-एनसीएल)	13 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	3 वर्ष (आवेदन करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई वास्तविक सैन्य सेवा की कटौती के बाद)
7	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है।	35 वर्ष की आयु तक
8	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हैं (एससी/एसटी)।	40 वर्ष की आयु तक

3. चयन की प्रक्रिया:

- . सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएएल द्वारा गठित जॉच-सह-चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
- . आवेदनों की जॉच प्रथम दृष्टि में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर की जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को आवेदन में सटीक और सही जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि बाद के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं या उन्होंने गलत/असत्य जानकारी दी है, तो उनकी उम्मीदवारी बिना किसी अग्रिम सूचना के रद्द कर दी जाएगी।
- . लिखित परीक्षा केवल बेंगलूरु में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र और तिथि बदलने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- . प्रतियोगी लिखित परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा। एमटीएस के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

परीक्षा का तरीका	ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में होंगे।
परीक्षा का स्तर	कक्षा दसवीं
प्रश्नों की कुल संख्या	150
कुल आवंटित समय	2 घंटे

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य बुद्धिमत्ता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

संख्यात्मक अभियोग्यता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
सामान्य जागरूकता	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

- . समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मामले में निर्णय की कार्यप्रणाली: यदि मेधा सूची में उम्मीदवारों के बीच टाई (समान अंक) की स्थिति बनती है, तो टाई को निम्नलिखित वरीयता क्रम में हल किया जाएगा:
 1. लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्रों (जिन्हें मेधा सूची तैयार करने के लिए माना गया है) में कम नकारात्मक अंक (यदि लागू हो) प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा।
 2. जन्म तिथि, जिसमें अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा।
 3. अनिवार्य योग्यता पहले अर्जित करने वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा।
 4. वर्णमाला क्रम के अनुसार उम्मीदवारों के पहले नाम का आना।
- . चयन के बाद भी, यदि दस्तावेज/प्रमाण पत्र सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के पास निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं है या वह विज्ञापन और/या लागू भर्ती नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन बिना किसी अग्रिम सूचना के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

4. सामान्य सूचना:

- . आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- . सभी आवेदकों को आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक विज्ञापन और लागू भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट आयु सीमा, अनिवार्य योग्यताओं और अन्य आवश्यकताओं सहित निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। पात्रता के संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवार की उम्मीदवारी/चयन अंतिम है और मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, चयन या नियुक्ति के बाद भी, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के पास निर्धारित अनिवार्य योग्यता नहीं है या वह निर्णायक तिथि को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति बिना किसी अग्रिम सूचना के रद्द कर दी जाएगी।

- . निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और मात्र उनके होने से उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए, उम्मीदवार को न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक प्रासंगिक क्षेत्र में सभी योग्यताओं और अनुभवों का उल्लेख दस्तावेजों द्वारा समर्थित आवेदन में करना चाहिए।
- . विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र, सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों, अंकसूची, अनुभव प्रमाण पत्रों, प्रशंसा पत्रों, जाति/श्रेणी प्रमाण पत्रों और आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में अन्य सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ, आवेदन शुल्क रसीद (जहां लागू हो) सहित, केवल स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा "मल्टी टास्किंग स्टाफ पद के लिए आवेदन, विज्ञापन सं. 11/2026" ऊपर लिखकर एक ही लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, ताकि यह निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाए:

**निदेशक,
सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (CSIR-NAL),
पी.बी. सं. 1779, एचएएल एयरपोर्ट रोड, कोडिहल्ली,
बेंगलुरु – 560017, कर्नाटक।**

निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र, अपूर्ण आवेदन-पत्र अथवा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त न होने वाले आवेदन-पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन-पत्र अथवा उसके समर्थन में कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- . अनिवार्य योग्यता के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को पद के लिए आवेदन करते समय इस संबंध में आदेश/पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें उस प्राधिकार का उल्लेख हो (संख्या और तारीख के साथ) जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- . निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं मान्यता प्राप्त बोर्डों/संस्थानों से प्राप्त होनी चाहिए।
- . यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो राजपत्रित अधिकारी या नॉटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसका अनुवाद संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- . उम्मीदवारों द्वारा **₹500/- (पांच सौ रुपये केवल)** का गैर-प्रतिदेय आवेदन शुल्क निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं के नाम पर **बेंगलूरु** में देय **डिमांड ड्राफ्ट** के माध्यम से जमा किया जाएगा और आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न किया जाएगा। उम्मीदवार को डीडी के पीछे अपना नाम और पिता का नाम लिखना होगा।
आवेदन शुल्क का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम), बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। अन्य सभी उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान न किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- . मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित सीएसआईआर में "मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती नियम" द्वारा शासित होती है।
- . पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति के बाद, नियमों के अनुसार उन्हें स्थायी करने पर विचार किया जाएगा।
- . अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में दी गई जन्म तिथि और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित जन्म तिथि को सीएसआईआर-एनएएल द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के किसी भी पश्चवर्ती अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि का समर्थन हाई स्कूल/सेकेंडरी स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए।
- . अधूरे आवेदन या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए गए आवेदन, या जो निर्धारित आवेदन शुल्क (जहां लागू हो), नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, हस्ताक्षर, आवश्यक प्रशंसापत्रों/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों और आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में जाति/श्रेणी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त हुए हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा और सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- . आरक्षित पदों पर नियुक्तियां अनंतिम होंगी, जो उचित माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से यह स्पष्ट होता है कि एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवार का दावा झूठा या गलत है, तो बिना कोई कारण बताए और आगे की कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
- . चयनित अभ्यर्थियों को सीएसआईआर-एनएएल, बेंगलूरु में तैनात किया जाएगा। लेकिन उन्हें लोकहित में भारत में कहीं भी अन्य सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- . लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी यात्रा भत्ते (टीए) का पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा।

- . पद के समक्ष दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और चयन के समय बढ़ या घट सकती है। सक्षम प्राधिकारी किसी भी या सभी पदों को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं या किसी भी अप्रत्याशित/अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- . पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके और लिखित परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएएल/सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।
- . आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- . सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/पीएसयू आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और आवेदन की हार्डकॉपी जमा करते समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- . इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी आगे के अद्यतन, सूचना, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र केवल सीएसआईआर-एनएएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किए जाएंगे। उम्मीदवारों को किसी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी; इसलिए उम्मीदवारों को सीएसआईआर-एनएएल की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।
- . अभ्यर्थियों को यह सूचित करना होगा कि क्या उनका कोई रक्त-संबंधी/निकट संबंधी [सरकारी सेवक से संबंध में पत्नी या पति, बेटा या बेटी, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से भी रक्त या विवाह द्वारा संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी सेवक पर आश्रित हों या नहीं] सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों में कार्यरत है।
- . चयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सीएसआईआर-एनएएल में या अन्यत्र नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंने पहले से ही किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें प्रयोगशाला में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ऐसे आवेदनों के विवरण की सूचना देनी होगी।
- . उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र का उपयोग करें और अंतिम समय की भीड़, डाक देरी या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले विधिवत भरा हुआ हार्ड-कॉपी आवेदन जमा करें।
- . किसी भी रूप में पक्षपात करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्यथा प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता के रूप में माना जाएगा।
- . भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले इस कार्यालय में पहुंच जाए। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न विज्ञापन में प्रदान किए गए संपर्क विवरण पर संबोधित किया जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

- . पात्र उम्मीदवारों को इस विज्ञापन में निर्दिष्ट अनुसार स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा पते पर हार्ड कॉपी में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों और आवेदन शुल्क रसीद (जहां लागू हो) की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- . आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन और इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- . आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा:
 - i) निर्धारित आवेदन पत्र भरें।

- ii) जहां भी लागू हो, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- iii) विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों और डीडी (जहां लागू हो) के साथ जमा करें, ताकि यह निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले इस कार्यालय में पहुंच जाए।
- . आवेदन शुल्क, एक बार भुगतान किए जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए समायोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्ण और सही है, और आवेदन के साथ संलग्न सभी आवश्यक स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज सुपाठ्य हैं और आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में हैं। अधूरे आवेदन या आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।
- . उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाना होगा और निर्दिष्ट स्थान पर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों, प्रशंसा पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों और अन्य सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जाएंगी।
- . उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड के लिए डीडी की प्रति (जहां लागू हो) और सभी संलग्नकों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें। मूल हार्ड-कॉपी आवेदन, सभी मामलों में पूर्ण, निर्धारित आवेदन शुल्क रसीद (जहां लागू हो) और सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ इस कार्यालय में जमा किया जाएगा ताकि निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले पहुंच सके। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।
- . उम्मीदवारी अनंतिम है और मूल दस्तावेजों के सत्यापन, जहां लागू हो आवेदन शुल्क के भुगतान के अधीन है और यदि सत्यापन में कोई गलत जानकारी उजागर होती है, तो उम्मीदवारी बिना कोई और कारण बताए तुरंत निरस्त कर दी जाएगी और गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जाने वाली ऐसी आगे की कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगी।
- . यदि कोई उम्मीदवार किसी भी चरण में पात्र नहीं पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. जाँच सूची

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए (जहां भी लागू हो) कि निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न हैं। निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में, या निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा:

- . ₹500/- (पांच सौ रुपये केवल) का डिमांड ड्राफ्ट (जहां भी लागू हो) निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बेंगलूरु के नाम पर बना हुआ। डीडी के पीछे नाम और पिता का नाम लिखा होना चाहिए।
- . आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर चिपकाया गया नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- . आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर।
- . निम्नलिखित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां:
 - एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र/अंक सूची (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में);
 - सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र और अंक सूची।
- . सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित भारत सरकार प्रारूप (केंद्र सरकार की नौकरी के लिए लागू) में नवीनतम एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जहां भी लागू हो।
- . विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, या अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, प्रासंगिक अदालती फैसले/डिग्री की एक प्रति के साथ एक शपथ पत्र जिसमें घोषणा की गई हो कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- . सीएसआईआर/सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारियों के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के संबंध में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और सतर्कता मंजूरी, जहां भी लागू हो।
- . स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र) जिसमें उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि दर्शाई गई हो, यदि ये विवरण एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं।
- . वैध सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (आईडेंटिटी प्रूफ)।

- . आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "मल्टी टास्किंग स्टाफ पद के लिए आवेदन, विज्ञापन सं. 11/2026" लिखा होना चाहिए।

8. आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकृत होने के संभावित कारण

किसी उम्मीदवार का आवेदन/अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निरस्त की जा सकती है:

- . आवेदन अधूरा, बिना हस्ताक्षर किया हुआ, या निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
- . जहां भी लागू हो, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क प्राप्त न होना।
- . आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित आवश्यक योग्यताओं, अनुभव, आयु या किसी अन्य पात्रता शर्तों का न होना।
- . निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होना।
- . आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के बिना आवेदन जमा करना, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) शामिल है, जहां भी लागू हो।
- . संवीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवेदन में दी गई जानकारी और प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति, बेमेल या असंगतता।
- . झूठी, गलत, या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना।
- . विज्ञापन और/या लागू भर्ती नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों या अन्य नियमों और शर्तों में से किसी को पूरा न करना।

अस्वीकरण

1. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक विज्ञापन में दिए गए आयु, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव (जहां भी लागू हो), और दावा की गई श्रेणी सहित सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। जब भी भी निदेश दिया जाए, विशेष रूप से दस्तावेज सत्यापन के समय, उन्हें अपने दावों के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने में विफलता या आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर चयन या नियुक्ति के बाद भी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम है और सभी मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कोई झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी दी है, किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, या इस विज्ञापन और/या लागू भर्ती नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द की जा सकती है। सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं के पास लागू नियमों के अनुसार भविष्य की भर्तियों से वंचित करने व उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।
3. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, भर्ती प्रक्रिया के संचालन, दस्तावेज सत्यापन, चयन, इस विज्ञापन के प्रावधानों की व्याख्या और लागू भर्ती नियमों से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एमटीएस के पद के लिए आवेदन की जानकारी न दिए जाने पर, आवेदन की किसी भी प्रकार की अप्राप्ति के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ताक्षर/-

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक

सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी के नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" का प्रारूप

(संस्था/प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का लेटरहेड)

सं. : _____

दिनांक : _____

विज्ञापन सं. _____ के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____, पदनाम _____, इस विभाग/संगठन में नियमित/स्थायी कर्मचारी हैं तथा दिनांक _____ से _____ (वर्तमान पदनाम) के पद पर कार्यरत हैं।

विज्ञापन सं. _____ दिनांक _____ के अंतर्गत पद कोड _____ (पद का नाम _____) हेतु आवेदन करने पर इस विभाग/संगठन को कोई आपत्ति नहीं है।

इस विभाग/संगठन को श्री/सुश्री _____ के चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने अथवा उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ के विरुद्ध वर्तमान में लागू आचरण नियमों के अधीन कोई दंड प्रभावी नहीं है तथा इस प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि तक वे न तो निर्लंबित हैं और न ही उनके विरुद्ध कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक अथवा आपराधिक मामले लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र आवेदक के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जाता है।

स्थान : _____
कृते [विभाग/संगठन का नाम]

(जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)
(जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम)
(जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम)
(कार्यालय की मुहर)
(संपर्क विवरण)
(विभाग/संगठन का पता)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री*.....
 पुत्र/पुत्री*.....गांव/शहर*.....जिला/मं
 डल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
की.....

जाति/जनजाति* से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।]
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @ संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) आदेश, 1976 द्वारा यथा संशोधित
- @ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में चले गए हैं:

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती* पिता/माता
श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....के गांव/कस्बा*/क्षेत्र*

.....जिला/मंडल* राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र* के जो उस जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/सुश्री* और/या* उनका परिवार सामान्यतः राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* के जिला/संभाग* के गांव/कस्बे* में रहता है।

हस्ताक्षर:

**पदनाम:

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान:

दिनांक:

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं है।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

- (i) जिलाधिकारी / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप कलेक्टर / अतिरिक्त उपायुक्त / उपायुक्त / कलेक्टर / उप जिलाधिकारी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / (सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट) मंडल मजिस्ट्रेट-उप / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।
- (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हो।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
- (v) प्रशासक / विकास अधिकारी / प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप)।

अनुलग्नक - III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री
_____ गांव/शहर _____ जिला/मंडल
_____ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत

सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____

दिनांक _____ * के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः

_____ जिला/मंडल के _____ राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.

36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 8.9.1993, का. ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था (आरएसई) दिनांक 9 मार्च 2004, का. ज्ञा.

सं. 36033/3/2004-स्था (आरईएस) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 तथा का. ज्ञा. सं. 36033/1/2013-स्था (आरईएस) दिनांक 27

मई 2013 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।**

हस्ताक्षर: _____

\$ पदनाम: _____

दिनांक:

मुहर

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण उल्लेख करना हो सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति को ओ.बी.सी. के रूप में उल्लेखित किया गया है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

\$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुलग्नक – IV

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी
गांव/शहर/नगर _____ जिला _____ राज्य _____

एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ समुदाय से संबंधित हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36102/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, का.ज्ञा.सं.36033/3/2004-स्था. (आरएसई) दिनांक 9 मार्च, 2004 तथा का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-स्था. (आरएसई) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पता: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

.....सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

.....
वर्ष के लिए मान्य:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... स्थायी निवासी, गांव/सड़क, डाकघर, क्षेत्र
..... पिन कोड जिनका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से
संबंधित हैं, क्योंकि उनके परिवार** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख
रुपये (मात्र आठ लाख रुपए) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है**:

- I. 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि;
 - II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/सुश्री जाति से संबंधित हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल
ही का पासपोर्ट
आकार का
सत्यापित चित्र

हस्ताक्षर (कार्यालय मुहर सहित):

नाम:

.....

पदनाम:

.....

*नोट 1: आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

**नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।

***नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न शहरों में 'परिवार' द्वारा धारित संपत्ति को अ.क.व स्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति होलिंग परीक्षण लागू करते समय क्लब (एकत्रित) किया गया है।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(एक से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण पत्र सं.
दिनांक:

निशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/सुश्री _____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) _____ आयु
_____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ स्थायी निवासी
मकान नंबर _____ वार्ड/गांव/सड़क _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य
_____, जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है और संतुष्ट हैं कि:
(क) वे एक से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निशक्तता/ दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दिए गए
दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति / मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	चलने-फिरने में अक्षमता			
2.	मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ रोग से ठीक हुए			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड अटैक पीड़ित			
7.	कमजोर दृष्टि			
8.	अंधापन			
9.	बहरापन			
10.	श्रवण बाधित होना			
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी अक्षमता			
12.	बौद्धिक अक्षमता			
13.	विशिष्ट अधिगम अक्षमताएँ			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ			
17.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफिलिया			

20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

ख उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों के अनुसार (.....उनकी कुल स्थायी शारीरिक हानि) निम्नलिखित है: -

अंकों में :- ----- प्रतिशत

शब्दों में :- ----- प्रतिशत

2. यह स्थिति रोग के बढ़ने/ न बढ़ने/ सुधार की संभावना / सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनः मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं, या

(ii) किया जाना चाहिए/ वर्ष महीने के बाद, और इसलिए यह प्रमाण पत्र

..... (दिन)/ (माह)/ (वर्ष) तक मान्य होगा।

@ उदाहरणार्थ: बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

उदाहरणार्थ: एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणार्थ: बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक द्वारा निवास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

प्रमाण-पत्र जिसके पक्ष में जारी किया गया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण-पत्र सं.: _____

दिनांक : _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____, पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____, जन्म तिथि _____ (दि./माह/वर्ष), आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____, पंजीकरण सं. _____, स्थायी निवासी मकान सं. _____, वार्ड/ग्राम/गली _____, डाकघर _____, जिला _____, राज्य _____, जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपकाया गया है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है तथा वे _____ प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनकी शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों (जिनका उल्लेख किया जाए) के अनुसार मूल्यांकित किया गया है तथा उसका विवरण नीचे दी गई सारणी में संबंधित दिव्यांगता(उल्लेख किया जाए) के समक्ष दर्शाया गया है।

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक अक्षमता/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
1	चलने-फिरने में अक्षमता	@		
2	कमज़ोर दृष्टि	#		
3	अंधापन	दोनों आँखें		
4	श्रवण दिव्यांगता	\$		
5	मानसिक मंदता	X		
6	मानसिक रोग	X		

(जो दिव्यांगताएँ लागू नहीं होती हैं, उन्हें काट दें।)

2. उक्त स्थिति रोग के बढ़ने/न बढ़ने/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।
3. अपांगता का पुनर्मूल्यांकन:
 - (i) आवश्यक नहीं है।
अथवा
 - (ii) _____ वर्ष _____ के पश्चात पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा की जाती है। अतः यह प्रमाण-पत्र // _____ (दि. /माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ उदाहरणार्थ: बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

उदाहरणार्थ: एक आँख/दोनों आँखें
\$ उदाहरणार्थ: बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर
(नाम एवं मुहर)
प्रतिहस्ताक्षरित

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख के
प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर, उन मामलों में जहाँ प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा
प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी सेवक न हो।)

प्रमाण-पत्र जिसके
पक्ष में जारी किया
गया है, उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह तभी वैध होगा,
जब उस पर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं, _____, _____ (दिव्यांगता का नाम) से ग्रस्त उम्मीदवार, _____ (परीक्षा का नाम) में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ, जिसका रोल संख्या _____ है। उक्त परीक्षा _____ (परीक्षा केंद्र का नाम), जिला _____, _____ (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) में आयोजित की जा रही है। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (प्रलिपिक का नाम) उपर्युक्त परीक्षा में मेरे लिए लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं एतद्वारा यह भी वचन देता/देती हूँ कि उनके पास _____ शैक्षणिक योग्यता है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है अथवा मेरी शैक्षणिक योग्यता से अधिक है, तो मैं संबंधित पद पर अपने समस्त अधिकार एवं उससे संबंधित सभी दावों का परित्याग कर दूँगा/दूँगी।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान : _____

दिनांक : _____

परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री _____ (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो _____ (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत) से ग्रस्त हैं तथा श्री _____ के पुत्र/पुत्री हैं एवं _____ (ग्राम/जिला/राज्य) के निवासी हैं, का परीक्षण किया है तथा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उनकी दिव्यांगता के कारण उनमें ऐसी शारीरिक सीमाएँ विद्यमान हैं, जो उनकी लेखन क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हैं।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य देखभाल
संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक
नाम एवं पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केयर सेंटर का नाम एवं मुहर

स्थान : _____

दिनांक : _____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र संबंधित विशेषज्ञता/दिव्यांगता के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जारी किया जाना चाहिए (उदाहरणार्थ : दृष्टि दिव्यांगता – नेत्र रोग विशेषज्ञ; चलन संबंधी दिव्यांगता – अस्थि रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक : _____

आवेदन प्राप्ति की तिथि : _____

डिमांड ड्राफ्ट/ मांग पत्र का विवरण (जहाँ लागू हो):

डीडी संख्या : _____ दिनांक : _____

राशि : ₹ _____

बैंक : _____

डिमांड ड्राफ्ट/ मांग पत्र पृथक कर मेरी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया है।

प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर : _____

दिनांक : _____

पात्रता की स्थिति

1. पात्र
2. अनंतिम/ संभावित रूप से पात्र
3. अपात्र

कारण (यदि अपात्र हो तो): _____

दस्तावेजों का सत्यापन करने वाले अधिकारी : _____

जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर : _____

दिनांक : _____

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ए-4 आकार के कागज़ पर स्पष्ट रूप से टंकित कर प्रस्तुत करें। हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर हाल ही का एक स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाया जाए।
3. आयु, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, दिव्यांगजन (PwBD)/भूतपूर्व सैनिक की स्थिति, अनुभव (यदि कोई हो) आदि के समर्थन में सभी प्रासंगिक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जाएँ।
4. निर्धारित आवेदन शुल्क **₹500/- (केवल पाँच सौ रुपये)** का भुगतान केवल **"निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएँ"** के पक्ष में **बेंगलूरु** में देय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)/ मांग पत्र के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करने से पूर्व डिमांड ड्राफ्ट/ मांग पत्र के पीछे अपना पूरा नाम तथा पिता का नाम अंकित करें।
6. अपूर्ण आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क (जहाँ लागू हो) के बिना प्राप्त आवेदन अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।
7. विधिवत भरा हुआ आवेदन-पत्र, सभी संलग्नकों सहित, केवल विज्ञापन में निर्दिष्ट पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाए। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापन संख्या : _____ पोस्ट कोड: _____

निर्धारित स्थान पर
हाल ही का एक
स्वप्रमाणित रंगीन
पासपोर्ट आकार
का फोटोग्राफ
चिपकाएँ।

1. उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में): _____

2. पिता/माता/अभिभावक का नाम: _____

3. जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष): ____ / ____ / ____

4. आयु (अंतिम तिथि के अनुसार): वर्ष ____ माह ____ दिन ____

5. लिंग: पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर

6. धर्म:

7. श्रेणी: अनारक्षित (UR) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) [OBC (NCL)] /

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST)

8. दिव्यांगजन (PwBD): हाँ / नहीं श्रेणी: _____

9. भूतपूर्व सैनिक: हाँ / नहीं

10. पत्राचार का पता:

पिन: _____

वैध मोबाइल संख्या: _____

वैध ई-मेल आईडी: _____

11. स्थायी पता:

पिन : _____

12. शैक्षणिक योग्यताएँ

परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत/सीजीपीए	विषय

13. तकनीकी योग्यता/कौशल प्रशिक्षण _____

14. अनुभव

संगठन	पदनाम	अवधि	कार्य का स्वरूप

15. पहचान-चिह्न:

1. _____

2. _____

16. आवेदन शुल्क का विवरण (यदि लागू हो)

राशि (₹): _____ डिमांड ड्राफ्ट संख्या: _____ दिनांक: ____ / ____ / ____

जारीकर्ता बैंक: _____ शाखा: _____

किसके पक्ष में आहरित: _____

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं समझता हूँ कि यदि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है या यदि मैं निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने में विफल रहता/रहती हूँ, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान : _____ दिनांक : ____ / ____ / ____

संलग्नक :

